संख्या- 7 /2017/22 आईडब्लूएमपी/85-2017-यू0ओ039-85-2015

प्रेषक,

शम्भूनाथ,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी,
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ।

परती भूमि विकास विभाग लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2017

विषय:- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) अदर इन्टरवेन्शन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 मे अवमुक्त केन्द्राशं के सापेक्ष राज्यांश सहित वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक-2501 के अन्तर्गत सामान्य मद से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 191788 हजार (उन्नीस करोड सत्तरह लाख अठठासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-117/एसएलडीसी-221/पीएमकेएसवाई/2016-17, दिनांक 21 मार्च, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 मे पुर्नविनियोग हेतु बीएम-9 प्रपत्र संलग्न करते हुए अनुदान संख्या-12 के मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम-02-सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम-307-मृदा तथा जल संरक्षण-02-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(के.60/रा.40/के0+रा0)-0201-सूखाग्रस्त क्षेत्रो मे जल संरक्षण के कार्य-42-अन्य व्यय के मद मे व्यय हेतु कुल धनराशि रू0 191788 हजार (उन्नीस करोड सत्तरह लाख अठठासी हजार मात्र) आवंटित/अवमुक्त करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- [redacted] उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा और उपरोक्त स्वीकृति/आवंटन इस शर्त के अधीन भी होगा कि उक्त के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2017 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन्स के अनुसार ही व्यय किया जायेगा। उक्त धनराशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा शासन से निर्गत शासनादेशों में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित एवं वितरित की जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-12 के "लेखाशीर्ष-2501-ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम-02-सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम-307-मृदा तथा जल संरक्षण-02-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(के.60/रा.40/के0+रा0)-0201-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सूखाग्रस्त क्षेत्रो मे जल संरक्षण के कार्य-42-अन्य व्यय के सुसंगत मानक मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-1925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शम्भूनाथ)
सचिव।

संख्या- 7 /2017/22 आईडब्लूएमपी/85-2017-यू0ओ039-85-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर आयुक्त, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र संख्या- 19-08/2015-आरएफएस-।।।, दिनांक 29 मार्च, 2016 के सन्दर्भ मे सूचनार्थ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय आडिट प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- आहरण एवं वितरण अधिकारी, एस0एल0एन0ए0, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
5- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-1/समाज कल्याण (बजट
6- अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना, 23, सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
7- अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, 177-एच-2/193 पाण्डुनगर, कानपुर।
8- मुख्य वित्तीय सलाहकार, शारदा सहायक समादेश परियोजना, लखनऊ/रामगंगा कमाण्ड परियोजना,
9- प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट लेवल डाटा सेन्टर आईडब्लूएमपी, अष्टम तल, एल्डिको, कोर्पोरेट टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र गौतम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम- 12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग)

वित्तीय वर्ष 2016-17

(धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष(15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित किये जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2501-ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम 05-बंजर भूमि विकास 101-राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं 0102-समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्लूएमपी) (के.50/रा.50/के0+रा0) 27-सब्सिडी	971248	191788	191788	191788	779460
योग-	**971248**	**191788**	**191788**	**191788**	**779460**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष(15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमित हेतु प्रस्ताव धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (8-11)
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2501-ग्राम विकास के लिशेष कार्यक्रम 02-सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम 307-मृदा तथा जल संरक्षण 02-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.60/रा.40/के0+रा0) 0201-सूखाग्रस्त क्षेत्रों मे जल संरक्षण के कार्य 42-अन्य व्यय	-	191788	191788	191788	191788
योग-	**-**	191788	191788	191788	191788

1-स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-3 में अंकित बचत

संख्या-आई- 853/ई-1-दस'2017 दिनांक: 31 मार्च,2017

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निम्नलिखित कारणों से है:-

(i) उक्त मद में जनपद के विभागीय कार्यालयों में माँग न होने के कारण बचत हो रही है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

(i) आवश्यकता से कम प्रावधान होने के कारण।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

हस्ताक्षर..... ...
नाम व पदनाम- शम्भूनाथ, सचिव।
परती भूमि विकास विभाग उ0प्र0 शासन।

संख्या- 7 /2017/ 22 /85-2017-यू0ओ0-38/2015 दिनांक : 31 मार्च, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ/कानपुर।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन। (तीन प्रतियों में)

।

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर..... ...
नाम व पदनाम. योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग

हस्ताक्षर..... ...
नाम व पदनाम- शम्भूनाथ, सचिव।
परती भूमि विकास विभाग उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in